

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 75/2020 अपील

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. श्रीमती हीरी पत्नि भैरूलाल गुर्जर
निवासी जालिमपुरा तहसील हुरडा
जिला भीलवाडा | बनाम | 1. रामलाल पुत्र नानूराम भील निवासी
जालिमपुरा तहसील हुरडा जिला
भीलवाडा |
| | | 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
हुरडा – (भीलवाडा) |

—अपीलार्थी

—रेस्पोजेण्ट


अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवन्यू एक्ट विरुद्ध नामान्तरकरण नंबर 494
दिनांक 12.04.2019 तहसीलदार, हुरडा

उपस्थित –

1. श्री आदित्यनारायण अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री दिनेश चन्द्र तिवाड़ी राजकीय अभिभाषक – रेस्पोजेण्ट सं. 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 10.11.2021



अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 तहसीलदार हुरडा के नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 12.04.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा जालिमपुरा पटवार हल्का सरैरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा मे रेस्पोजेण्ट की आराजी न० 105/3 रकबा 1.10 बीघा दर्ज स्थित थी जो उसके खाते में दर्ज चली आ रही थी। रेस्पोजेण्ट के द्वारा अपनी आराजी नम्बर 105/3 रकबा 1.10 बीघा में से 1.08 बीघा को तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा के कार्यालय में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये उक्त आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करा लिया। रेस्पोजेण्ट के द्वारा दिनांक 9.9.2015 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलान्ट को बेचान कर दिया और उक्त आराजी का कब्जा भी अपीलान्ट को सम्भला दिया गया तथा वक्त खरीद से उक्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा व उपयोग उपभोग लगातार चला आ रहा है। अपीलान्ट के द्वारा आराजी खरीद करने के उपरान्त पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की प्रति दे दी गई लेकिन काफी समय तक पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण नहीं खोलने से पुनः पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा विक्रय पत्र की प्रति व रूपान्तरण आदेश की प्रति की मांग की, जिस पर अपीलान्ट के द्वारा दोनो दस्तावेजों की प्रति की फोटो प्रति प्रस्तुत कर दी व मूल पटवारी हल्का को दिखा कर वापस अपीलान्ट ने अपने पास ले ली। उसके बाद

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण संख्या 494 भरकर गिरदावर से प्रमाणित करा उसको तहसीलदार हुरडा के समक्ष पेश किया गया लेकिन तहसीलदार हुरडा के द्वारा मात्र मूल रजिस्ट्री व रूपान्तरण आदेश के अभाव का अंकन करते हुये उक्त नामान्तरण को खारिज कर दिया गया। जबकि उक्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग लगातार चला आ रहा है। पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरण सं० 494 में सही अंकन किया गया तथा पटवारी हल्का के द्वारा दोनो दस्तावेज मांगे जाने पर अपीलान्ट के द्वारा दोनो दस्तावेज मूल दिखा कर उनकी फोटो प्रति पेश कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद पटवारी हल्का के द्वारा तहसीलदार हुरडा के समक्ष क्यों उक्त दोनो दस्तावेज पेश नहीं किये, जबकि मूल दस्तावेज स्वयं तहसीलदार हुरडा के कार्यालय में ही थे, मात्र उनकी प्रतिलिपि जारी होती है जिनकी फोटो प्रति अपीलान्ट के द्वारा पटवारी हल्का को सुपुर्द कर दी गई थी। तहसीलदार हुरडा के द्वारा जानबूझ कर अपीलान्ट का नामान्तरण खारिज किया गया जबकि स्वयं के द्वारा भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही करके रूपान्तरण आदेश जारी किया व उसके उपरान्त उक्त आराजी का पंजियन भी तहसीलदार हुरडा के कार्यालय में हुआ जिसकी प्रति भी उनके पास थी ऐसे में तहसीलदार हुरडा के द्वारा उक्त दोनो दस्तावेज अपने पास से भी देखा जा सकता था लेकिन ऐसा न कर मात्र तहसीलदार हुरडा के द्वारा ना समझ कर अपीलान्ट का नामान्तरण खारिज करने में भारी कानूनी भूल की है। इन्तकाल सं० 494 दिनांक 12.04.2019 की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी ओर अपीलान्ट अपने रजिस्टर्ड विकय पत्र व रूपान्तरण आदेश के आधार पर जब भी पटवारी हल्का के पास जाता तो पटवारी हल्का के द्वारा जल्द खोलने का आश्वासन देते आ रहे हैं व बार बार मांगने पर दिनांक 31.08.2020 को पटवारी हल्का के द्वारा स्थानान्तरण होने के कारण नामान्तरण फैसल होने की जानकारी दी जिस पर दिनांक 02.09.2020 को अपीलान्ट के द्वारा नामान्तरण की नकल का प्रार्थना लगाया गया जिस पर दिनांक 4.9.2020 को नकल प्राप्त की गई इसलिए तारीख जानकारी दिनांक 31.08.2020 से उक्त अपील धारा 5 कानून मियान अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जो नियमानुसार अन्दर मियाद है। प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ऑथोरिटी तहसीलदार हुरडा के द्वारा दिनांक 12.04.2019 को इन्तकाल न० 494 को हुय आदेश को खारिज किया जाकर अपीलान्ट के नाम पर नामान्तरण खोलने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 12.10.2020 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या बावजूद सम्मन तामील के उपस्थित नहीं है। विपक्षी संख्या 01 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील में वर्णित कथन को

दोहराते हुए निवेदन किया कि मोजा जालिमपुरा पटवार हल्का सरैरी तहसील हुरडा जिला भीलवाडा मे रेस्पोजेन्ट की आराजी न० 105/3 रकबा 1.10 बीघा दर्ज स्थित थी जो उसके खाते में दर्ज चली आ रही थी। रेस्पोजेन्ट के द्वारा अपनी आराजी नम्बर 105/3 रकबा 1.10 में से 1.08 बीघा को तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा के कार्यालय में नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये उक्त आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करा लिया। रेस्पोजेन्ट के द्वारा दिनांक 9.9.2015 को बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अपीलान्ट को बेचान कर दिया और उक्त आराजी का कब्जा भी अपीलान्ट को सम्भला दिया गया तथा वक्त खरीद से उक्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा व उपयोग उपभोग लगातार चला आ रहा है। निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ ऑथोरिटी तहसीलदार हुरडा के द्वारा दिनांक 12.04.2019 को इन्तकाल न० 494 को हुय आदेश को खारिज किया जाकर अपीलान्ट के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का आदेश प्रदान करवाया जावे।

रेस्पोजेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट को वक्त नामान्तरकरण मूल दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में पेश करने चाहिये थे। दस्तावेज पेश नहीं किये जाने से, अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 12.04.2019 को जारी नामान्तरकरण संख्या 494 में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि नामान्तरकरण संख्या 494 पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आराजी संख्या 105/3 रकबा 1.08 बीघा भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2015 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 80 में पृष्ठ संख्या 27 का अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट मुताबिक सभी दस्तावेजात का परीक्षण किये बिना ही एवं पक्षकार की समुचित सुनवायी किये बिना ही नामान्तरकरण संख्या 494 को दिनांक 12.04.2019 को ~~जिसे~~ कर दिया गया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी के संबंध में स्वयं के कार्यालय में रखे रजिस्टर्ड दस्तावेजात की जांच करके भी निर्णय किया जा सकता था। किन्तु उक्त


जति. जिला फलक्टर
भीलवाडा

नामान्तरकरण जारी करने में ऐसा नहीं किया गया। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।
अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार हुरडा के नामान्तरकरण संख्या 494 निर्णय दिनांक 12.04.2019 को अपास्त कर तहसीलदार हुरडा को प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


अ.सि. सिंघ (अधीनस्थ न्यायालय)
अतिरिक्त जज कलक्टर
भीलवाड़ा